न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या **107 / 2025** अन्तर्गत धारा 53, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
शुशियादेवी पत्नी केशरसिंह **जाति** राजपुरोहित, निवासी सवाईपुरा हाल निवासी सीताराम की ढाणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1 करणसिंह पुत्र कालूसिंह 2. चुतरसिंह पुत्र कालूसिंह 3. देरावरसिंह पुत्र कालूसिंह 4. देवी पत्नी कालूसिंह 5. दीपसिंह पुत्र उतमसिंह 6. महेन्द्रसिंह पुत्र रिड़मलसिंह 7. रतनसिंह पुत्र रिड़मलसिंह 8. लक्ष्मीकंवर पत्नी रिड़मलसिंह 9. शंकरसिंह पुत्र रिड़मलसिंह जति रावणा राजपुत, निवासी सीताराम की ढाणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर 10. तहसीलदार शिव

उपस्थित :— अधिवक्ता वादीनी — श्री देवीलाल कुमावत।

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 03.06.2026

वादीनी अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार तैयार किया गया है तथा वादीनी अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई है। अतः तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री अनुसार होने एवं वादीनी अधिवक्ता को स्वीकार होने से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद स्वीकार किया जाकर तहसील शिव, पटवार मण्डल बीसुकला के ग्राम सीताराम की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 197 रकबा 11.1369 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान् के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है —

क्र. सं.	नाम खातेदार	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट. में)	किस्म	लगान	बरंग
1	शुशियादेवी पत्नी केशरसिंह जाति राजपुरोहित सा. सवाईपुरा खातेदार	सीताराम की ढाणी	197	2.7123	बा.सो.	—	लाल
2	करणसिंह पुत्र कालुसिंह 1/16, चुतरसिंह पुत्र कालुसिंह 1/16, देरावरसिंह पुत्र कालूसिंह 1/16, देवी पत्नी कालूसिंह 1/16, दीपसिंह पुत्र उतमसिंह 1/4, पवनकंवर पुत्री रिड़मलसिंह 1/80, महेन्द्रसिंह पुत्र रिड़मलसिंह 1/16+1/80, रतनसिंह पुत्र रिड़मलसिंह 1/16, शंकरसिंह पुत्र रिड़मलसिंह 3/40, संतोषकंवर पुत्री रिड़मलसिंह 1/80 जाति रावणा राजपुत सा. देह खातेदार	सीताराम की ढाणी	197	8.1366	बा.सो	—	हरा
3	सामलाती खातेदार बदस्तुर जमाबंदी अनुसार (रास्ते हेतु)	सीताराम की ढाणी	197	0.2880	बा.सो	—	काला

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने एव नक्शा ट्रेस में प्रस्ताव अनुसार परिवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों को बराबर हिस्सा मिल रहा है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव
शिव (बाड़मेर)

निर्णय आज दिनांक 03.06.2026 सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव
सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)